

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार  
मो0 9518066400

सं:सी.एस.एफ./6-16/रबी/कृषि/2018/

दिनांक: 29-12-2018

निविदा/ खुली बोली सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि०मी०, सिरसा रोड़, हिसार पर रबी 2018-19 के दौरान बोई गई निम्न फसलों को काटकर इकट्ठा करना व कम्बाईन में झुकाई करने व थ्रेशिंग करने हेतु निविदाएं दिनांक 18-1-2019 को अपरान्ह 2.30 बजे तक आमत्रित की जाती है। खुली बोली उसी दिन 3.00 बजे होगी। बोली में भाग लेने के लिये रुपये 20,000/- का डी०डी० जमा करना होगा, बोली में जितने लोट छोड़े जायेगे उनकी धरोहर राशि (रुपये 5000/- प्रति लोट) तीन दिन में जमा करानी होगी नहीं तो अगली बोली में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। प्रत्येक फसल व प्रति लाट के लिये नीचे दिये गये विवरणानुसार रुपये का डी०डी० राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम बनवाकर फार्म के खजांची के पास जमा करवाने होंगे जो कि असफल बोलीदाता को चैक के रूप में लौटा दिये जायेगे। फसल का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लाटों की संख्या व अन्य शर्तें बोली से पहले इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को या हमारी [website www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त तिथि को निविदाएं असफल रही तो दोबारा दिनांक 25-1-2019, 01-2-2019 व 8-2-2019 को निविदाएं ली जायेगी फसल का कुल एरिया व कार्य निम्न प्रकार है।

क्र स	कार्य का विवरण	एरिया एकड़ में	डी०डी० धरोहर राशी रु.प्रति लोट
1.	सरसों काटकर इकट्ठा करना व कम्बाईन में झुकाई करना व ठेकेदार के थ्रेशर से थ्रेशिंग करना	1348.5	5,000/-
2.	मसूर काटकर इकट्ठा करना व फार्म की कम्बाईन/थ्रेशर में झुकाई करना	37.0	5000/-
3.	मटर दाना उपरोक्त कार्य	27.00	5000/-
4.	मटर सब्जी उपरोक्त कार्य	411.00	5000/-
5.	चना उपरोक्त कार्य	150.00	5000/-

प्रबंधक (उत्पादन)  
कृते उप महा प्रबंधक (फार्म)

वितरण

---

---

---

फार्म पर रबी-2018-19 के दौरान बोई गई गई फसलों को काटकर इकट्ठा करना, फार्म कम्बाईन में झुकाई करना व ठेकेदार के थ्रेशर से थ्रेशिंग आदि कार्यों के लिये नियम व शर्तें--

दिनांक : 18-1-2019

प्रत्येक बोलीदाता को बोली में भाग लेने के लिये रुपये 20,000/- का डी0डी0 जमा कराना होगा, बोली में जितने लोट छोड़े जायेगे उनकी धरोहर राशि तीन दिन में जमा करानी होगी नहीं तो अगली बोली में भाग नहीं लेने दिया जायेगा । प्रत्येक फसल व प्रति लाट के लिये रुपये 5000/- का डी0डी0 राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम बनवाकर फार्म के खजांची के पास जमा करवाने होंगे जो कि असफल बोलीदाता को चैक के रूप में लौटा दिये जायेगें । फसल का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है ।

1. प्रक्षेत्र का अंकित फासलिया क्षेत्रफल अंतिम रूप से सही माना जायेगा। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह बोली देने से पूर्व अपनी शंका का समाधान करा सकता है । बोली के बाद किसी का कोई तर्क मान्य नहीं होगा।
2. मजदूरों का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा व उन्हें कार्य स्थल पर लाने व ले जाने की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
3. प्रक्षेत्र में बोलीदाता या उसके आदमियों द्वारा कोई गलत कार्य या चोरी आदि किए जाने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक ठेकेदार के दायित्व पर कार्य करेंगे व उनके हर प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
5. समय पर कार्य पूरा न करने पर फार्म को जो हानि होगी उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी । उस स्थिति में ठेका किसी अन्य को देकर या फार्म के मजदूरों से कार्य करवा लिया जाएगा तथा इस मद में फार्म का जो अतिरिक्त खर्चा होगा उसका भुगतान ठेकेदार को करना होगा व किए गए कार्य का भी भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. यदि ठेकेदार कार्य करने में असफल हो जाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा थोड़े बहुत किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. फसल की कटाई खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के आदेशानुसार तुरन्त शुरु करना होगा व शीघ्र अति शीघ्र पूरा करना होगा। यदि कटाई व गहाई विलम्ब होने से फार्म को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
8. ठेकेदार द्वारा काटी गई फसल को बड़े बड़े ढेर प्रति एकड़ में 4-5 जगह पर इकट्ठा करना होगा तथा खलिहान की सफाई थ्रेशिंग के समय साथ ही साथ करनी होगी ।
9. सरसों की कटाई जमीन से एक फुट उपर से करनी होगी जिससे गहाई के समय भूसे के साथ साथ फसल का दाना बाहर भूसे में न जा सके । ठेकेदार को सरसों का सारा पैसा बैंक SBI A/c No. 33957537351 में जमा कराना होगा तभी तूड़ा उठाने दिया जायेगा ।
10. ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी । प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है । फार्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. श्रम अधिनियम के सभी उपबन्धों की पालना करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। किसी अधिनियम का उल्लंघन की सूरत में फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।
12. भविष्य निधि अधिनियम और ई0एस0आई0 के उपबन्धों के पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । यदि वह उसका पालन नहीं करता है तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा ।
13. ठेकेदार के लिए अनिवार्य है कि वह फार्म पर लगाये गये मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी का भूगतान करेगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का पालन करने के लिए जिम्मेदार होगा ।
14. ठेकेदार कोई भी अवांछनीय मजदूर नहीं लगायेगा व कार्य फार्म के निर्देशानुसार ही करेगा ।
15. फार्म पर खड़ी फसल को ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने पर निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी नुकसान का जायजा लेगी तथा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार फार्म को जो हानि होगी उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी

16. श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान उनके खाते में करना होगा ।
17. ठेकेदार को भुगतान उसके बैंक खाते में किया जायेगा इसके लिये ठेकेदार को स्थाई खाता संख्या, IFSC कोड न०, पेन न० देना अनिवार्य होगा । आयकर अधिनियम के अनुसार कर टैक्स की कटौती बिल में से की जाएगी ।
18. आवश्यकतानुसार कार्य का क्षेत्र कम या ज्यादा किया जा सकता है।
19. ठेकेदार अपना कार्य 8.00 से 5.00 बजे के बीच ही करना सुनिश्चित करेगा।
20. प्रत्येक ठेकेदार को 10 रूपये का स्टाम्प पेपर लाना होगा और कार्य शुरू करने से पहले उस पर समझौता करना होगा । इसका व्यय स्वयं ठेकेदार को करना होगा।

### **आरबीट्रेशन**

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझाने की स्थिति में मामले का समाधान / निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचन (Arbitration) की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/ अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी । विवाचन का फैसला अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये । विवाचन (Arbitration) का स्थान हिसार होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल हिसार स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा ।

**प्रबंधक (उत्पादन)**

मैंने उपरोक्त फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों के ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं ठेका आंबटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तों की अनुपालना करने को तैयार हूँ ।

प्रबंधक (उत्पादन)

कृते उप महा प्रबंधक (फार्म)

ठेकेदार के हस्ताक्षर

सेवा में,

उप महा प्रबंधक फार्म,  
केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार।

श्री मान् जी,

निवेदन है कि मैं आपके फार्म पर रबी-2018-19 के दौरान बोई गई फसलों को काटकर इकट्ठा करना, फार्म कम्बाईन में झुकाई करना व ठेकेदार के ब्रेशर से ब्रैशिंग करने आदि का ठेका लेना चाहता हूं और लोट वार दरें नीचे दी गई है। मुझे फार्म की सभी शर्तें मन्जूर है तथा मैंने शर्तों पर हस्ताक्षर भी कर दिये है। धरोहर राशी के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट

न०.....दिनांक.....रुपये

का संलग्न है।

लोट न०	फसल का नाम	चक न०	एरिया एकड़ में	दर प्रति एकड़
1	सरसों	2000RD	65.0	
2	सरसों	68025RD	58.75	
3	सरसों	9000RD	61.25	
4	सरसों	72000RD 9000 RD	40.0 20.0	
5	सरसों	78/80000RD	60.0	
6	सरसों	75000RD	55.0	
7	सरसों	17000RD	107.5	
8	सरसों	13000RD	90.0	
9	सरसों	21000RD	77.5	
10	सरसों	23000RD	103.0	
11	सरसों	23000RD	78.0	
12	सरसों	38000RD	77.5	
13	सरसों	Tail Plot	43.0	
14	सरसों	Nursery	53.0	
15	सरसों	86000RDR	112.5	
16	सरसों	86000RDL	75.0	
17	सरसों	Dhandoor	157.5	
18	मटर सब्जी	2000RD 72000RD	17.0 36.0	
19	मटर सब्जी	68025RD	41.0	
20	मटर सब्जी	9000RD	70.0	
21	मटर दाना	2000RD	5.50	
	मटर दाना	72000RD	1.25	
	मसूर	2000RD	4.5	
	मसूर	72000RD	10.0	

22	मटर सब्जी	78/80000RD	83.75	
23	मटर सब्जी	75000RD	37.50	
24	मटर सब्जी	17000RD	48.75	
25	मटर सब्जी	13000RD	76.25	
26	मटर दाना मसूर	17000RD 78/80000RD	17.50 22.50	
27	चना	2000RD 68025RD 9000RD 72000RD	49.0 20.0 10.0 17.5	
28	चना	38000RD	40.0	
29	चना	86000RDL	40.0	

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम व पता \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

फोन न० \_\_\_\_\_

खाता न० \_\_\_\_\_

पैन न० \_\_\_\_\_

IFSC Code No. \_\_\_\_\_